फर्द अहकाम

भागोती देवी वगै0 बनाम कैलाश वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

स सं0 153/25

0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.09.2025	वकील श्री सुरेन्द्र परिहार ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश हो।	
	29/10/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान। पक्षकरान वादी व प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार सुनवाई दिनांक 12/11/25 को पेश हो।	
	12/11/25	पत्रावली पेश गी पक्ष० उप० है। पास तलबी हेतु करार किया जाकर पत्रावली दिनांक 19/11/25 को पेश हो।	
	19/11/25	पत्रावली पेश हुई। कोई पक्षाधिवक्ता उप नहीं है। आज व्यायालय में पक्ष / पक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति हेतु तीन -2 बार आवाज लगाई गई। फिर भी कोई उप. नहीं हुआ। अतः पत्रावली O-9, R-3 CPC के तहत अपम पैरवी, अपम कार्यवाही में खारिज फरमायी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो वाद जाबर खारिज हो	उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल